

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

निदेशक (उर्दू), मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, (उर्दू निदेशालय), बिहार, पटना के पत्र संख्या-बजट-39/2016/03/(आ0)/उर्दू दिनांक 13.05.2016 के अतिरिक्त पत्र सं0 11/उर्दू दिनांक 10.01.2017 द्वारा बजट शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएँ-0011-द्वितीय राजभाषा (उर्दू) स्थापना-मांग सं0-04 तथा विपत्र कोड N-2053000940011 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए वेतनादि के भुगतान एवं अन्य आनुषंगिक व्यय हेतु शेष अवधि के लिए आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे संलग्न विवरणी के अनुसार उपावटित किया जाता है:-

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561/वि0 दिनांक 17.04.98, 423/वि0 दिनांक 31.3.2016 एवं 2793/वि0 दिनांक 04.04.2016 के आलोक में स्वीकृत है। वित्त विभाग के पत्रांक 400/वि0 दिनांक 16.05.2004 के आलोक में यदि वेतन की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन/वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है। राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेश-निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
3. आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराये जाने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं विभागीय पत्रांक 538/रा0, दिनांक 30.07.2005 एवं 1007/रा0, दिनांक 06.12.2006 के आलोक में यथा समय कार्यवाई की सूचना सीधे विभाग को भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाय।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैन्युअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561/वि0, दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी/व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना, प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) के अन्त में विभागीय फैक्स (0612-22217698)/विशेषदूत/स्पीड पोस्ट द्वारा विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाए।
7. कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार (20 02) विषय शीर्ष मद में आवंटित शत-प्रतिशत राशि का उपयोग जिला स्तर पर समारोह आयोजित करने में किया गया।
8. चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले वार्षिक व्यय का ईकाईवार आकलन दिनांक 31 मार्च, 2017 से पहले निश्चित रूप से इस विभाग को दे दी जाए ताकि समेकित प्रत्यार्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को यथासमय उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं हो।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन की कार्यवाई के क्रम में सेवानिवृत्त/बीमार/मृत/निलंबित कर्मियों के बकाया वेतनादि/सेवान्त लाभ/जीवन निर्वाह भत्ता/कम्प्यूटर प्रशिक्षण की राशि के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक :- उपावटन सूची।

इस-
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 153 /स्था0, दिनांक 23/2/17

प्रतिलिपि :-1. अनुमंडल पदाधिकारी, खडगपुर/स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर/धरहरा/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

3. निदेशक (उर्दू) मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग उर्दू निदेशालय, बिहार, पटना के पत्र संख्या-बजट-39/2016/11/(आ0)/उर्दू दिनांक 10.01.2017 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4. जिला नजारत उप समाहर्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

इस-
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

